

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या :- 148/2024  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/237

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
केसाराम दत्तक पुत्र बिंजाराम जाति भील निवासी घड़ोई नाड़ी, जानियाना तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.नरसाराम पुत्र भीखाराम 2.कालूराम पुत्र भीखाराम 3.खेताराम पुत्र चौथाराम 4.बुधाराम पुत्र चौथाराम 5.भेराराम पुत्र चौथाराम 6.मोहनराम पुत्र चौथाराम जाति भील निवासी घड़ोई नाड़ी, जानियाना तहसील पचपदरा 7.केशाराम पुत्र गोपीराम 8.गणपतलाल पुत्र गोपीराम 9.रामचन्द्र पुत्र गोपीराम 10.श्री कृष्ण पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी-घड़ोई नाड़ी, जानियाना हॉल निवासी समदड़ी रोड़, नरेन्द्र कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थिति-

1. श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/07/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 465/65 व 561/65 कुल क्षेत्रफल 13.5731 हैक्टर भूमि अवस्थित

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 465/65 व 561/65 कुल क्षेत्रफल 13.5731 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।


2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 465/65 व 561/65 कुल क्षेत्रफल 13.5731 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 465/65 व 561/65 कुल क्षेत्रफल 13.5731 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे



4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 465/65 व 561/65 कुल क्षेत्रफल 13.5731 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08.5.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रार नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है, यदि आपत्ति होती तो उजर-एतराज पेश करते, लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

#### :आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 465/65 व 561/65 कुल क्षेत्रफल 13.5731 हेक्टर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फ्रीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 22.7.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(राजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा